-

UPFR010022712021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, आव. बस्तु अधिनियम फर्रूखाबाद ।

उपस्थित –श्री कृष्ण कुमार VI ....एच०जे०एस० JO UP 6508

दाण्डिक वाद संख्या– 304/2021

राज्य

प्रति

वादी सुधीर कुमार

धारा –135 विद्युत अधिनियम

अपराध संख्या –224/2020

थाना– एण्टी पावर थेफ्ट फतेहगढ

दिनांक 10.07.2021

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 135 विद्युत अधिनियम में दर्ज करायी गयी थी। दौरान विवेचना अभियुक्त द्वारा निर्धारित शुल्क एवं शमन शुल्क जमा कर दिया गया है और कोई धनराशि शेष नहीं है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, फर्रूखाबाद द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना एन्टी थेफ्ट फतेहगढ–फर्रूखाबाद को सम्बोधित प्रार्थनापत्र कागज संख्या 9A1 पत्रावली पर संलग्न है। उक्त शमन के आधार पर यह अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है। इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा को भी नोटिस निर्गत की गयी थी जिसने न्यायालय में उपस्थित आकर प्रीट्रायल में इस अन्तिम आख्या पर बल न दिये जाने का पृष्ठाकन किया है। धारा 135 विद्युत अधिनियम का अपराध शमनीय है और पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस मामले में पक्षकारों के बीच शमन हो चुका है जिसके आधार पर यह अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है। अतः इस मामले में कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

तदनुसार प्रस्तुत प्रकरण की अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश /

विशेष न्यायाधीश E.C.Act, फर्रूखाबाद।